

	<p>केंद्रीय शुल्क के प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CENTRAL TAX हैदराबाद जीएसटी आयुक्तालय HYDERABAD GST COMMISSIONERATE जीएसटी भवन, एल बी स्टेडियम रोड, बशीर बाग, हैदराबाद-500 004 GST BHAVAN, L B STADIUM ROAD, BASHEERBAGH, HYDERABAD-500004 Phone No.040-23241117 / 23240725 Fax No. 040-23299204 e-mail:cgst.hydcmmr@gov.in</p>	
---	--	---

C.No.II/3/62/2015-Estt.

Date: 17-05-2019

ESTABLISHMENT ORDER (N.G.O.) NO. 62/2019

विषय: स्था - सीमाशुल्क & केन्द्रीय कर के हैदराबाद/विसखपट्टनम क्षेत्र के अवर श्रेणी लिपिक को कर सहायक के संवर्ग में पदोन्नति -संबन्धीत

Sub: Estt. - Promotion of Lower Division Clerks to the cadre of Tax Assistant of Customs & Central Tax in Hyderabad/Visakhapatnam Zones - Regarding.

सक्षम अधिकारि के अनुमोदन से, निम्नलिखित अवर श्रेणी लिपिक को हैदराबाद / विसखपट्टनम क्षेत्र के सीमाशुल्क, केन्द्रीय कर के कर सहायक के संवर्ग में, वेतनमन मट्रिक्स तर -4 [रु. 25,500 - 81,100] तथा अन्य ग्राह्य भक्तो सहित एतद द्वारा तत्काल प्रभाव से एवं अगले आदेश होने तक **तयार्थ आधार पर** और यथा तथा आधार पर पदोन्नत किया जाता हैं।

With the approval of competent authority, the following Lower Division Clerk is promoted to the cadre of Tax Assistant of Customs & Central Tax in Hyderabad / Visakhapatnam Zones **on Adhoc basis**, in the Scale of Pay Rs. 25,500 - 81,100 in the Level-4 of Pay matrix and such other allowances as admissible with immediate effect and until further orders.

क्रमांक Sl.No	अधिकारी का नाम सर्व/ श्री Name of the Officer S/Sri/Smt	वर्तमान में जहां वे तैनात हैं Commissionerate in which working	पदोन्नति पर क्षेत्र का आबंटन Allocation of Zone on promotion
1	एम.नागेश्वरा राव M.Nageshwara Rao	गुंटूर Guntur	विसखपट्टनम Visakhapatnam

2. कर सहायक के केडर में इनकी पदोन्नति **तदर्थ आधार पर** है और इससे इन्हें नियमित पदोन्नति या अन्य सेवा लाभ के लिए दावा करने का कोई अधिकार नहीं मिलता। इनकी पदोन्नति भारत सरकार के भारत सरकार के कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग काज्ञा .सं .28036/8/87-Estt(D), दिनांक 30.03.1988 व भारत सरकार के भारत सरकार के कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के A.R.O.M. No.36011/14/83-Estt(SCT), दिनांक 30.04.1983 में वर्णित तदर्थ नियुक्तियों के लिए निर्धारित उपयुक्त परिस्थितियों व इस संबंध में समय है। अधीन के शर्तों के निर्देशों संबन्धित वाले जाने किए जारी द्वारा बोर्ड पर समय-

His promotion to the cadre of Tax Assistant is purely on Ad hoc basis and this does not confer on him any right to claim for regular promotion or any other service benefits. His promotion is also subject to the relevant conditions prescribed for Ad-hoc appointment as stated in DOPT O.M No. 28036/8/87-Estt(D), dated 30.03.1988 & the Government of India, DOPT.A.R.O.M.No.36011/14/83-Estt(SCT), dated 30.04.1983 and also relevant instructions issued by the Board in this regard from time to time.

3. उपरोक्त पदोन्नतिया इस संबंद में विभिन्न अदालतों के समक्ष लिंबित मामलो/याचिकों यदि कोई हों, के परिणाम का विषय है।

The above promotion is subject to the outcome of various cases/litigations pending before various Courts/CAT in this regard, if any.

4. पदोन्नति परिणामस्वरूप, विसखपट्टनम क्षेत्र को आबंटित अधिकारि को विसखपट्टनम क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे की पोस्टिंग जारी की जाएगी।

Consequent on the above promotion, further posting of the officer allotted to Visakhapatnam Zone will be issued by the competent authority of Visakhapatnam Zone.

5. उपरोक्त व्यक्तियों को इस पदोन्नति आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिन के दौरान कर सहायक के रूप में कार्य ग्रहण करने का आदेश दिया जाता है अन्यथा इसे पदोन्नति से इन्कार माना जाएगा ।

The individual is hereby directed to join in the cadre of Tax Assistant within 15 days from the date of issue of this promotion order.

6. संबंधित आयुक्तलय से अनुरोध है कि वे इस कार्यालय को जॉइनिंग रिपोर्ट दिनांक 07-06-2019 तक को अग्रेषित करें।

The concerned Commissionerate is requested to forward the joining report to this office by 07-06-2019.



(पी.डी.पूली P.D.PULI)

अपर आयुक्त (क व सत)

ADDITIONAL COMMISSIONER (P&V)

प्रति To

संबन्धित व्यक्ति को The Individual

(संबन्धित अधिकारी के माध्यम से Through the officer concerned)

प्रतिलिपि अग्रेषित Copy submitted to:

1. मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क & केन्द्रीय कर, हैदराबाद क्षेत्र
The Principal Chief Commissioner, Customs & Central Tax, Hyderabad Zone.
2. मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क & केन्द्रीय कर, विसखपट्टनम क्षेत्र
The Chief Commissioner, Customs & Central Tax, Visakhapatnam zone.
3. सभी प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, सीमाशुल्क & केन्द्रीय कर, हैदराबाद / विसखपट्टनम क्षेत्र
All the Principal Commissioner/Commissioner of Customs & Central Tax, Hyderabad/Visakhapatnam Zone.

प्रतिलिपि Copy to:

1. सभी CAO/PAO, सीमाशुल्क & केन्द्रीय कर, हैदराबाद / विसखपट्टनम क्षेत्र
All the CAO/PAO, Customs & Central Tax, Hyderabad/Visakhapatnam zone.
2. महा सचिव, वर्ग "ग" सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर अधिकारी संगठन, हैदराबाद/
विसखपट्टनम क्षेत्र ।
The General Secretary, Customs, Central Excise & Service Tax, Ministerial officer's Association, Hyderabad/ Visakhapatnam zone.
3. महा सचिव, अ जा/ अ ज जा संगठन, सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर, हैदराबाद।
The General Secretary, Customs, Central Excise & Service Tax, SC/ST Employees Welfare Association, Hyderabad zone.
4. स्टॉक फ़ाइल/ नोटिस बोर्ड Notice Board/Stock File.



(पी.डी.पूली P.D.PULI)

अपर आयुक्त (क व सत)

ADDITIONAL COMMISSIONER (P&V)